FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

73/21

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

रमनजीत कौर बनाम अवतार सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 65 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021/163

मिसल क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
..8.2021	प्रार्थिया रमनजीत कौर भुल्लर पत्नी रणजीत सिंह जटसिख निवासी 4 एफ एफ ए तहसील श्रीकरणपुर हाल निवासी अमेरिका जरिये मुख्त्यारेआम सर्वजीत सिंह पुत्र तारासिंह जाति जटसिख निवासी 25 बीबी तहसील पदमपुर की ओर से अधिवक्ता श्री धीरज अरोड़ा ने वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 आरटीए के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ **चक 4 एफ एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 06/06 के मुरब्बा नम्बर 3, खाता संख्या 4/4 के मुरब्बा नम्बर 3, 47, 64/26, 64/34, 64/49, खाता संख्या 33/33 के मुरब्बा नम्बर 14 की जमाबन्दी** प्रस्तुत की। वकील प्रार्थिया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिया के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि **अप्रार्थी संख्या 1 ता 7** आगामी तारीख पेशी 06/09/21 तक तहसील श्री करणपुर के **चक 4 एफ एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 06/06 के मुरब्बा नम्बर 3, खाता संख्या 4/4 के मुरब्बा नम्बर 3, 47, 64/26, 64/34, 64/49, खाता संख्या 33/33 के मुरब्बा नम्बर 14 की कुल 11.498 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से अवतार सिंह व मनजीत कौर के नाम दर्ज कुल 9.348 हैक्टर भूमि की राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। अर्थात इसका किसी प्रकार से बेचान, रहन एंव हस्तान्तरण नहीं करे।** प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जावे। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना करे। आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना नही करने पर यह अन्तरिम अस्थाई स्थगन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। यदि उक्त भूमि बैंक के रहन है तो बैंक मे राशि जमा कराने या अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने व **राजस्थान कृषि साख परिचलन(कठिनाई निवारण) अधिनियम 1974 की कार्यवाही** पर उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नही होगा। पत्रावली दिनांक 06/09/2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	